मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 9 दिसंबर 2021

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1
II. विनियमन	2
III. पर्यवेक्षण	3
IV. विदेशी मुद्रा प्रबंध	3
V. भुगतान और निपटान प्रणाली	3
VI. सरकार का बैंकर	3
VII. वित्तीय बाजार	4
VIII. रिपोर्ट	4

संपादक से नोट

हमारे पाठकों को सुखद और स्वस्थ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है।

रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

एमपीसी का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 8 दिसंबर 2021 को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। तदनुसार, एलएएफ़ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं।

एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया। ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

I. विनियमन और पर्यवेक्षण:

क) बैंकों की विदेशी शाखाओं और सहायक संस्थाओं में पूंजी लगाना और लाभ का प्रतिधारण/प्रत्यावर्तन/ अंतरण:

समीक्षा करने पर, और बैंकों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि विनियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, कार्योत्तर रिपोर्टिंग के अधीन, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, अपनी विदेशी शाखाओं और सहायक संस्थाओं में पूंजी डाल सकते हैं; इन केंद्रों में लाभ प्रतिधारित कर सकते हैं; और उससे होने वाले लाभों को प्रत्यावर्तित/अंतरित कर सकते हैं।

ख) बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा :

निवेश के वर्गीकरण, माप और मूल्यांकन पर वैश्विक मानकों में बाद के महत्वपूर्ण विकास के मद्देनजर, पूंजी पर्याप्तता ढांचे के साथ-साथ घरेलू वित्तीय बाजारों में प्रगति के साथ, इन मानदंडों की समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक चर्चा पत्र टिप्पणियों के लिए रखा जाएगा।

II. वित्तीय बाजार:

लिबोर से वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में परिवर्तन- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/व्यापार ऋण (टीसी):

लिबोर के निकटस्थ बंद होने के मद्देनजर, उधार की मुद्रा पर लागू किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत अंतर-बैंक दर या वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) को, बंद होने के बाद, बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नई विदेशी मुद्रा ईसीबी और टीसी के लिए लिबोर और एआरआर के बीच क्रेडिट जोखिम और मियादी प्रीमियम में अंतर को ध्यान में रखते हुए, समग्र लागत सीमा को एआरआर पर क्रमशः 450 बीपीएस से 500 बीपीएस और 250 बीपीएस से 300 बीपीएस तक संशोधित करने का प्रस्ताव है।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

क) भुगतान प्रणाली में प्रभारों पर चर्चा पत्र:

रिज़र्व बैंक व्यापारियों/ग्राहकों से डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा खर्च की गई लागत की वसूली में शामिल मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक चर्चा पत्र जारी करेगा कि इस तरह के शुल्क उचित हैं। पेपर डिजिटल भुगतान के विभिन्न चैनलों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान लिखत (कार्ड और वॉलेट), यूपीआई, आदि में शामिल शुल्क से संबंधित सभी पहलुओं को कवर करेगा और सुविधा शुल्क, अधिभार और उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल लेनदेन को वहनीय बनाने के लिए आवश्यक उपाय से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया भी मांगेगा।

ख) फीचर फोन उपयोगकर्ता के लिए यूपीआई

फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक यूपीआई-आधारित भुगतान उत्पाद लॉन्च करने का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य वित्तीय पैठ को गहन बनाना और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की मुख्यधारा में लाना है। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के पास अभिनव भुगतान उत्पादों तक सीमित पहुंच है। हालांकि फीचर फोन में *99# के लघु कोड का उपयोग करके मूल भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने के विकल्प के रूप में एनयूयूपी (नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म) है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई-आधारित भुगतान उत्पाद लॉन्च करने का प्रस्ताव है।

ग) यूपीआई पर छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए प्रक्रिया प्रवाह का सरलीकरण

रिज़र्व बैंक ने यूपीआई ऐप में "ऑन-डिवाइस" वॉलेट के माध्यम से छोटे मूल्य के लेनदेन को सक्षम करने के लिए यूपीआई पर छोटे मूल्य के लेनदेन के प्रक्रिया प्रवाह के सरलीकरण को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया है जो उपयोगकर्ता के लेनदेन अनुभव में किसी भी बदलाव के बिना बैंकों के सिस्टम संसाधनों का संरक्षण करेगा। लेन-देन की मात्रा (प्रति दिन 14 करोड़ लेनदेन, अक्तूबर 2021) के अनुसार यूपीआई देश में सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली है। लेन-देन डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि यूपीआई के माध्यम से किए गए 50 प्रतिशत लेनदेन ₹200 से कम वाले थे, जो इसकी सफलता को दर्शाता है। यूपीआई के शुरुआती उद्देश्यों में से एक कम मूल्य के लेनदेन के लिए नकदी की जगह लेना था।

घ) निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए यूपीआई लेनदेन की सीमा में वृद्धि

खुदरा निवेशकों द्वारा यूपीआई के उपयोग को और प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक का प्रस्ताव है कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना और आईपीओ आवेदनों के लिए यूपीआई के माध्यम से भुगतान हेतु लेनदेन की सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया जाए। एनपीसीआई को जल्द ही अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। वित्तीय बाजारों में खुदरा ग्राहकों की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। समय के साथ, यूपीआई 01 जनवरी 2019 से इसकी उपलब्धता के बाद से आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए एक लोकप्रिय भुगतान विकल्प बन गया है। यह बताया गया है कि ₹2 लाख से ₹5 लाख के आईपीओ आवेदन सदस्यता आवेदनों का लगभग 10 प्रतिशत हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

विदेशी शाखाओं और सहायक संस्थाओं में पूंजी निवेश/लाभ का अंतरण

रिज़र्व बैंक ने 8 दिसंबर 2021 को निर्णय लिया कि बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और संस्थाओं में पूंजी लगाने और लाभ के प्रतिधारण/प्रत्यावर्तन के लिए पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जो उन्हें परिचालन संबंधी अधिक लचिलापन प्रदान करने के लिए नियामक पूंजी आवश्यकताओं (पूंजी बफर सहित) को पूरा करते हैं। इसके बजाय, बैंकों को इसके लिए अपने बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी। तथापि, ऐसे प्रस्तावों पर विचार करते समय, बैंक अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार योजनाओं, घरेलू और मेजबान देश की नियामक आवश्यकताओं और उनके विदेशी केंद्रों के निष्पादन मानकों सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। बैंक घरेलू और मेजबान देश के लागू सभी कानूनों और विनियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे। जो बैंक न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अब तक की तरह रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना होगा। विदेशी शाखाओं और सहायक संस्थाओं में पूंजी लगाने और/या लाभों के प्रतिधारण/अंतरण/ प्रत्यावर्तन के सभी मामलों की सूचना रिज़र्व बैंक को 30 दिनों के भीतर देनी होगी। ये नियम विदेशी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एसएलआर और एमएसएफ़– सामान्य स्थिति में लौटना

रिज़र्व बैंक ने 10 दिसंबर 2021 को निर्णय लिया कि बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के रखरखाव के संबंध में सामान्य स्थिति में लौटने की आवश्यकता होगी। तदनुसार, 1 जनवरी 2022 से प्रभावी बैंकों द्वारा एमएसएफ के तहत एक दिवसीय उधार के लिए तीन प्रतिशत के बजाय एनडीटीएल के दो प्रतिशत तक सांविधिक चलनिधि अनुपात को कम किया जा सकता है। इससे पहले, 27 मार्च 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने एमएसएफ़ योजना के तहत अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) की उधार सीमा एनडीटीएल का 2 प्रतिशत से बढ़ा कर 3 प्रतिशत कर दी थी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता

बैंकों के लिए बासेल III मानकों के साथ रिज़र्व बैंक के विनियमों के अभिसरण के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने हितधारकों तथा जनता की टिप्पणियों के लिए 15 दिसंबर 2021 को परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया। ये निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र वाले बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे। सभी हितधारकों द्वारा मसौदा मास्टर निदेश पर टिप्पणियां 31 जनवरी 2022 तक ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

केवाईसी का आवधिक अद्यतन

रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2021 को कोविड-19 के नए वैरिएंट के कारण व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए, केवाईसी के आवधिक अद्यतन संबंधी परिपत्र के प्रावधानों को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। 5 मई 2021 के परिपत्र के माध्यम से, रिज़र्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऐसे ग्राहक खातों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं लगाने की सलाह दी थी, जहां केवाईसी का आवधिक अद्यतन बाकी है और उस तारीख तक लंबित है जब तक किसी भी नियामक/प्रवर्तन एजेंसी/न्यायालय आदि के निर्देशों के तहत आवश्यक न हो। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

III पर्यवेक्षण

एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक ने 14 दिसंबर 2021 को एनबीएफसी पर लागू होने वाले पर्यवेक्षी उपकरणों को और मजबूत करने के लिए एनबीएफसी के लिए एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क तैयार किया। एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क, 31 मार्च 2022 को या उसके बाद एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति के आधार पर 1 अक्तूबर 2022 से लागू होगा। मौजूदा विनियमों के अनुसार, सरकारी एनबीएफसी को एनबीएफसी के लिए प्रदान किए गए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का पालन करने के लिए 31 मार्च 2022 तक का समय प्रदान किया गया है। एनबीएफसी, आकार में बढ़ रहे हैं और इनका वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ पर्याप्त अंतर्संबंध हैं। पीसीए फ्रेमवर्क को शुरू में 2002 में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था और इसके लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं को अपने वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए समय पर उपचारात्मक उपायों को लागू करने एवं कार्यान्वित करने की आवश्यकता थी। पीसीए फ्रेमवर्क का उद्देश्य प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करना भी है। यह फ्रेमवर्क रिज़र्व बैंक को इसमें निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाइयों के अलावा किसी भी समय कोई अन्य कार्रवाई करने, जैसा कि वह किसी भी समय उचित समझता है, से नहीं रोकता है । विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

ईसीबी और टीसी नीति – लिबोर परिवर्तन

रिज़र्व बैंक ने हितधारकों के परामर्श से 8 दिसंबर 2021 को यह निर्णय लिया है कि लिबोर में परिवर्तन के कारण हुए बदलाव के मद्देनज़र विदेशी मुद्रा (एफ़सीवाई) बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) तथा ट्रेड क्रेडिट (टीसी) नीति की समग्र लागत बेंचमार्क और अधिकतम सीमा के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाए:-

i) *एफ़सीवाई ईसीबी और टीसी के लिए बेंचमार्क दर को पुनः परिभाषित करना:*

एफ़सीवाई ईसीबी/ टीसी के मामले में बेंचमार्क दर, जिस मुद्रा में उधार लिया गया है, उस पर लागू कोई भी व्यापक रूप से स्वीकृत अंतर-बैंक दर या 6-माह अवधि की वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) होगी।

ii) *नई ईसीबी / टीसी के लिए समग्र लागत सीमा में परिवर्तन:*

लिबोर और एआरआर के बीच क्रेडिट जोखिम और टर्म प्रीमियम में संभावित अंतर को ध्यान में रखते हुए नई एफ़सीवाई ईसीबी और टीसी के लिए समग्र लागत सीमा को बेंचमार्क दरों से 50 आधार अंक बढ़ा कर क्रमशः 500 बीपीएस और 300 बीपीएस कर दिया गया है।

iii) *मौजूदा ईसीबी/टीसी के लिए समग्र लागत सीमा में एकबारगी समायोजन:*

लिबोर से जुड़ी मौजूदा ईसीबी/टीसी, जिनके बेंचमार्क को एआरआर में परिवर्तित कर दिया गया है, के बदलाव को आसान बनाने के लिए इन ईसीबी/टीसी की समग्र लागत सीमा को संशोधित करके इनमें 100 बीपीएस की वृद्धि करते हुए इन्हें एआरआर से क्रमशः 550 बीपीएस और 350 बीपीएस अधिक कर दिया गया है।

आईएनआर ईसीबी/टीसी के लिए समग्र लागत बेंचमार्क और उच्चतम सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों/ग्राहकों को अवगत कराने के लिए सूचित किया । विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सीमा-पारीय लेनदेन- एलईआई

रिज़र्व बैंक ने 10 दिसंबर 2021 को यह निर्णय लिया कि 01 अक्तूबर 2022 से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के सभी बैंक, उन निवासी संस्थाओं (जो व्यक्ति न हो), जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत ₹50 करोड़ अथवा उससे अधिक मूल्य (प्रति लेनदेन) के पूंजीगत अथवा चालू खातेगत लेनदेन करते हैं, से कार्रवाई करते समय इन संस्थाओं से विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) संख्या प्राप्त करेंगे। किसी अनिवासी प्रतिपक्ष / विदेशी संस्था की एलईआई सूचना की अनुपलब्धता के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक कारोबारी व्यवधानों को टालने के उद्देश्य से उन लेनदेनों की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक संबंधित संस्थाओं को 01 अक्तूबर 2022 से पहले किए गए लेनदेनों के लिए भी स्वेच्छा से एलईआई विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करें। कोई संस्था जब एलईआई संख्या प्राप्त कर लेती है, तो उसे सभी प्रकार के लेनदेनों में एलईआई संबंधी ब्योरा देना होगा, चाहे लेनदेन का मूल्य कुछ भी हो। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के पास एलईआई सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रणालियां उपलब्ध होनी चाहिए और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्त की गई एलईआई संबंधी सूचना वैश्विक विधिक संस्था पहचानकर्ता प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर उपलब्ध वैश्विक एलईआई डेटाबेस से मान्य है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

V.भुगतान और निपटान प्रणालियां

वास्तविक कार्ड डेटा को संगृहीत करना

रिज़र्व बैंक ने 23 दिसंबर 2021 को कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) डेटा को संगृहीत करने की समय-सीमा छह महीने के लिए 30 जून 2022 तक बढ़ा दी। इसके पश्चात, ऐसे डेटा को हटा दिया जाएगा। टोकनाइजेशन के अतिरिक्त, उद्योग के हितधारकों को, ऐसे किसी भी उपयोग (जिसमें आवर्ती ई-मैनडेट, ईएमआई विकल्प, आदि शामिल हैं) अथवा लेनदेन के बाद की गतिविधि (जिसमें चार्जबैक हैंडलिंग, विवाद समाधान, इनाम / लॉअल्टी कार्यक्रम आदि शामिल हैं), जिसमें वर्तमान में कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा सीओएफ डेटा को संगृहीत किए जाने की आवश्यकता शामिल है, हैंडल करने के लिए वैकल्पिक तंत्र/ तंत्रों को तैयार करने के लिए सूचित किया गया।

भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर और उनके द्वारा ऑनबोर्ड किए गए व्यापारियों को 30 जून 2021 से सीओएफ़ डाटा संगृहीत करने से प्रतिबंधित किया गया था । इस समय-सीमा को दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. सरकार का बैंकर

अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों का एजेंसी बैंक

रिज़र्व बैंक ने 15 दिसंबर 2021 को घोषित किया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से परामर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित भुगतान बैंकों और अनुसूचित लघु वित्त बैंकों को सरकारी एजेंसी का कारोबार करने के लिए पात्र बनाया जाए। कोई भी भुगतान बैंक या लघु वित्त बैंक जो सरकारी एजेंसी का कारोबार करना चाहते हैं उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ करार निष्पादित करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि इन बैंकों के लिए निर्धारित प्रमुख विनियामक ढांचे का अनुपालन किया गया है। । विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. आर्थिक बाज़ार

भारत सरकार के टी-बिल और सीएम बिलों की बिक्री

रिज़र्व बैंक ने 08 दिसंबर 2021 को घोषित किया कि जिन बैंकों ने टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत निधि प्राप्त की थी, उन्हें बकाया राशि की पूर्व चुकौती करने के लिए एक और विकल्प प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने के इच्छुक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय बाजार परिचालन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को ईमेल के माध्यम से अपने अनुरोध प्रस्तुत करें। समयावधि बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। रिज़र्व बैंक पूर्व चुकौती की मात्रा तय करने और/या बिना कोई कारण बताए किसी या सभी अनुरोधों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. रिपोर्ट

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2021 को अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का 24वां अंक जारी किया। यह एफएसआर वित्तीय स्थिरता के जोखिमों और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। एफ़एसआर की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

(i) कोविड-19 संक्रमण के पुनः बढ़ने, नए वेरिएंट ओमिक्रोन, आपूर्ति व्यवधानों और बाधाओं, मुद्रास्फीति के उच्च स्तर और मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कार्रवाई की पृष्ठभूमि में वैश्विक आर्थिक सुधार, 2021 की दूसरी छमाही में गति को खो रहा है।

(ii) घरेलू मोर्चे पर, टीकाकरण में प्रगति ने हाल ही में गति के धीमा होने के संकेतों के बावजूद महामारी की दूसरी लहर के कमजोर होने के बाद कर्षण हासिल करने में बहाली को सक्षम बनाया है; कॉर्पोरेट क्षेत्र मजबूत हो रहा है और बैंक ऋण वृद्धि में सुधार हो रहा है।

(iii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 16.6 प्रतिशत के नए शिखर पर पहुंच गया और सितंबर 2021 में उनका प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 68.1 प्रतिशत था।

(iv) क्रेडिट जोखिम के लिए समष्टि तनाव जांच यह दर्शाता है कि एससीबी का सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात, बेसलाइन परिदृश्य के तहत सितंबर 2021 में 6.9 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2022 तक 8.1 प्रतिशत और गंभीर तनाव परिदृश्य के तहत 9.5 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि, एससीबी के पास तनाव की स्थिति में भी समग्र और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर पर्याप्त पूंजी होगी।

(v) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ-साथ सूक्ष्म वित्त खंड में भी तनाव के उभरते संकेतों से, आगे, इन पोर्टफोलियो की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता होगी।

पूर्ण एफ़एसआर को पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करके आरबीआई की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।

बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 28 दिसंबर 2021 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में एक सांविधिक प्रकाशन, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट – 2020-21 जारी किया। यह रिपोर्ट 2020-21 और 2021-22 की अब तक की अवधि के दौरान सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए विकसित हो रही संभावनाओं पर कतिपय परिप्रेक्ष्य भी प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:

(i) 2020-21 के दौरान, महामारी और उसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में संकुचन के बावजूद, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समेकित तुलन पत्र के आकार में विस्तार हुआ। 2021-22 में अब तक, ऋण संवृद्धि में सुधार के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। सितंबर 2021 के अंत में, जमा में, पिछले वर्ष की 11.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ii) एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर), आंशिक रूप से, उच्च प्रतिधारित आय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण और पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) दोनों द्वारा बाजार से पूंजी जुटाने के कारण, मार्च 2020 के अंत में 14.8 प्रतिशत से मजबूत होकर मार्च 2021 के अंत में 16.3 प्रतिशत और सितंबर 2021 के अंत में 16.6 प्रतिशत हो गया।

(iii) एससीबी का सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2021 के अंत में 7.3 प्रतिशत और सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया।

(iv) स्थिर आय और व्यय में गिरावट के कारण एससीबी की परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) मार्च 2020 के अंत में 0.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 0.7 प्रतिशत हो गया।

(v) कोविड-19 महामारी के कारण आरबीआई द्वारा किए गए कुछ नीतिगत उपाय 2021-22 में पूर्व-घोषित अंतिम तारीखों तक पहुंच गए। इसके परिणामस्वरूप कुछ चलनिधि उपायों को बंद कर दिया गया है, जबकि अन्य नियामक उपाय को वित्तीय स्थिरता के लिए विस्तारित सहनशीलता और जोखिमों से बचने के लिए पुनः संगठित किया गया है।

(vi) यद्यपि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत नई दिवाला कार्यवाही की शुरुआत मार्च 2021 तक एक वर्ष के लिए निलंबित कर दी गई थी, परंतु यह वसूली गई राशि के मामले में वसूली के प्रमुख तरीकों में से एक है।

(vii) 2020-21 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की तुलन- पत्र में वृद्धि, जमाओं से प्रेरित थी, जबकि कमजोर ऋण वृद्धि के कारण निवेश में तेजी आई। पूंजी की स्थिति और लाभप्रदता सहित उनके वित्तीय संकेतकों में सुधार हुआ।

(viii) राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में 2019-20 में सुधार हुआ, जबकि उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई।

(ix) जमाराशि स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के ऋण और निवेश के कारण 2020-21 के दौरान एनबीएफसी का समेकित तुलन-पत्र का विस्तार हुआ। उनकी संपत्ति की गुणवत्ता और पूंजी बफर में भी सुधार हुआ।

पूर्ण रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करके आरबीआई की वेबसाइट पर जाएँ।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।